



निजगढ राजपत्र

निजगढ नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड: ९ संख्या: ३ मिति: २०८२/०४/०१

भाग - १

निजगढ नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन

गर्न बनेको अध्यादेश, २०८२

प्रस्तावना: निजगढ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, निजगढ नगरपालिका ऐन, कानून, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका (तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा (४) को उपदफा (१) बमोजिम कार्यपालिकाले आ. व. २०८२/०८३ को लागि आर्थिक अध्यादेश, २०८२ जारी गरेको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस अध्यादेशको नाम “आर्थिक अध्यादेश, २०८२” रहेको छ ।

(२) यो अध्यादेश २०८२ साल श्रावण १ गते देखि निजगढ नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. सम्पति करः (१) नगरपालिकाका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको भौतिक संरचना र संरचनाले चर्चेको जग्गामा अनुसूची-१ बमोजिम एकिकृत सम्पति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) निजगढ नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोजिम सम्पति कर नलाग्ने भनि उल्लेख भएको घर र जग्गाको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

३. भूमि कर (मालपोतः): नगरपालिका क्षेत्र भित्र अनुसूची-२ बमोजिम बक्यौता भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

४. घर जग्गा बहाल करः नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्था वा निकायले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची-३ बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

५. व्यवसाय करः (१) नगरपालिका क्षेत्र भित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची-४ बमोजिम व्यवसाय दर्ता शुल्क र नवीकरण दस्तुर असूल उपर गरिनेछ ।

(२) प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्रमा व्यवसाय कर दाखिला नभएमा पहिलो वर्ष १०%, दोस्रो वर्ष सम्ममा पनि दाखिला नभएमा २०% र त्यसपछिसम्म पनि दाखिला

नभएको हरेक वर्षमा ३०% का दरले तेस्रो वर्ष देखि जरिवाना रकम सहित बुझाउनु पर्नेछ ।

तर कृषि पेशामा आबद्ध फर्म व्यवसायहरुको हकमा अनुसूची ४ बमोजिमको पुँजीको आधारमा वार्षिक नवीकरण दस्तुर शुल्कमा ५०% छुट कायम गरी नवीकरण शुल्क असूल उपर गरिने छ ।

६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरे वापत अनुसूची-५ बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
७. सवारी साधन करः नगरपालिका क्षेत्र भित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची-६ बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
८. विज्ञापन करः (१) नगरपालिका क्षेत्र भित्र हुने विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारका लागि राख्न दिने साईनबोर्ड, स्टल लगायतमा अनुसूची-७ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागू गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम निजगढ नगरपालिकाले उठाएको विज्ञापन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसंग बाँडफाँड गरिनेछ ।

(४) विज्ञापन कर व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने निम्न बमोजिम नीति अपनाइने छ ।

(क) कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन गर्दा निजगढ नगरपालिकाबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु पर्नेछ ।

(ख) नेपाल सरकारको नीति बमोजिम सार्वजनिक स्थलमा विज्ञापन गर्न बन्देज गरेका मादक पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ जस्ता वस्तुहरूको विज्ञापन गर्न पाईने छैन ।

(ग) नेपाल सरकारका तर्फबाट हुने जनचेतनामूलक सूचना तथा प्रचारप्रसार सामाग्रीहरूमा विज्ञापनकर लिईने छैन ।

(घ) व्यापार, व्यवसाय वा कार्यालय रहेको स्थानको परिचय पाटीको हकमा बढीमा ६ फिट लम्बाइ र ३ फिट चौडाइ भएको परिचय पाटीको कर लिईने छैन तोकिएको साइज भन्दा बढीको परिचय पाटी राख पाइने छैन ।

(ङ) स्वीकृति नै नलिई राखिएका विज्ञापन सामाग्री हटाउने सकिने छ । यदि स्वीकृति दिन उपयुक्त ठानिएमा लाग्ने करको शत प्रतिशत बराबर जरिवाना लिई नगरकार्यपालिकाले स्वीकृति दिन सकिने छ ।

(च) विज्ञापन गर्ने संस्था वा व्यक्तिले स्वीकृत समयावधी समाप्त भएपछि विज्ञापन गर्ने संस्था वा व्यक्तिले विज्ञापन सामाग्री स्वयम् तुरुन्त हटाउनु पर्नेछ । अन्यथा नगरपालिकाले जफत गर्नेछ ।

९. मनोरन्जन करः नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सिनेमा हल, साँस्कृतिक प्रदर्शनहल, थिएटर सङ्गीतगृह, मनोरञ्जन स्थल, प्रदर्शन स्थल, जादु, सर्कस, चटक जस्ता मनोरञ्जन व्यवसायमा अनुसूची-८ बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
१०. बहाल बिटौरी शुल्कः नगरपालिका क्षेत्र भित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूची-९ मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
११. स्थानीय सडक उपयोग तथा मर्मत शुल्कः राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्ग देखि बाहेक नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भई आएका र नगरपालिकाले निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्दै आएका सडक उपयोग गरे बापत अनुसूची-१० बमोजिमको स्थानीय सडक उपयोग तथा मर्मत शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१२. पार्किङ शुल्कः नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची-११ बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१३. ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र याफ्टिङ शुल्कः नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र याफ्टीङ सेवा वा व्यवसाय संचालन गरे बापत अनुसूची-१२ बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१४. सेवा शुल्क, दस्तुरः (१) नगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची-१३ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) साथै निजगढ नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेको जलउपभोक्ता संस्था/समितिको दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर अनुसूची १३ बमोजिम लाग्नेछ ।

(३) नगरपालिकाले सहकारी संस्था, एफ.एम. रेडियो, “घ” वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत, विद्यालय स्थापना, ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर, औषधी पसल, स्थानीय व्यापारिक फर्महरूको दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा नियमन आदी सेवामा सेवा शुल्क, दस्तुर लगाई उठाइनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा इजाजत (दर्ता) दस्तुर लिई दर्ता गरी इजाजत प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त सहकारी संस्था, एफ.एम. रेडियो, “घ” वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत, विद्यालय स्थापना, ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर, औषधी पसल, स्थानीय व्यापारिक फर्महरूले वार्षिक रूपमा सेवा शुल्क, दस्तुर चुक्ता गरी नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।

१५. पर्यटन शुल्कः नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूबाट अनुसूची-१४ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१६. दुङ्गा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर शुल्कः: नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र दुङ्गा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर पाँगो तथा माटोको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रिमा मधेश प्रदेशको आर्थिक ऐनको अधिनमा रही अनुसूची—१५ बमोजिम बिक्री शुल्क लिइनेछ ।
१७. घर तथा जग्गाको मूल्याङ्कनः: नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा र भवनको मूल्याङ्कन अनुसूची—१६ बमोजिम हुनेछ । सो लाई आधार मानि एकीकृत सम्पत्ति कर शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।
१८. घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कः (१) घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम लगाईने र उठाईनेछ ।
 (२) घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क उठाउन नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय मार्फत उठाईनेछ ।
१९. कर छुटः: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
२०. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

आ.ब.२०८२/०८३मा लागू हुने करका दरहरू

अनुसूची—१

दफा (२) सँग सम्बन्धित

सम्पत्ति कर

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुने वार्षिक प्रगतीशिल कर प्रतिशतमा | कैफियत |
|--------|--------------------------------|--|--------|
| १ | पाँच लाख रुपैया सम्म | ०.०१ | |
| २ | पाँच लाख देखि बीस लाखसम्म | ०.०११५ | |
| ३ | बीस लाख एक देखि तीस लाखसम्म | ०.०१२५ | |
| ४ | तीस लाख एक देखि पचास लाखसम्म | ०.०१५ | |
| ५ | पचास लाख एक देखि एक करोडसम्म | ०.०१६ | |
| ६ | एक करोड एक देखि दुई करोडसम्म | ०.०१७ | |
| ७ | दुई करोड एक देखि तीन करोडसम्म | ०.०१८ | |
| ८ | तीन करोड एक देखि चार करोडसम्म | ०.०२५ | |
| ९ | चार करोड एक देखि पाँच करोडसम्म | ०.०२७५ | |
| १० | पाँच करोड एक देखि छ करोडसम्म | ०.०३ | |
| ११ | छ करोड एक देखि सात करोडसम्म | ०.०३१५ | |
| १२ | सात करोड एक देखि आठ करोडसम्म | ०.०३२५ | |
| १३ | आठ करोड एक देखि नौ करोडसम्म | ०.०३५ | |
| १४ | नौ करोड एक देखि दश करोडसम्म | ०.०३७५ | |
| १५ | दश करोड एक भन्दा माथी | ०.०४ | |

नोट: चालु आ.ब को पुस मसान्तसम्ममा सम्पत्ति कर भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट पाइने छ। साथै आ.ब. समाप्त भएपछी सम्पत्ति करमा थप २० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ।

अनुसूची-२
दफा (३) सँग सम्बन्धित

भूमि तथा मालपोत कर

| क्र.स. | मालपोत कर | कर रकम (प्रति कट्टा) | कैफियत |
|--------|---------------------|----------------------|--------|
| १. | राजमार्ग दायाँबायाँ | १५ | |
| २. | अन्य | ७ | |

अनुसूची-३
दफा (४) सँग सम्बन्धित
घरजग्गा बहाल कर

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुने वार्षिक कर प्रतिशतमा | कैफियत |
|--------|--|--|--------|
| १ | स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र रहेका स्थायी संरचनाहरू जस्तै घर, गोदाम, कम्प्लेक्स, जग्गा, पोखरी आदि भाडामा लगाउँदा प्राप्त हुने बहाल रकममा लगाइने बहाल कर | व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ | ५ % |
| | | फर्म तथा व्यवसाय | ७ % |
| | | बैंक तथा वित्तिय संस्था | १० % |
| २ | नदी उकास जग्गा, सार्वजनिक जग्गा भाडामा प्रयोग गरे बापत प्रतिबर्ग फिट (श. हिरालाल पार्क र मोहरी पार्कको १ कि.मी. क्षेत्रभित्र) | २ | |
| ३ | नदी उकास जग्गा, सार्वजनिक जग्गा भाडामा प्रयोग गरे बापत प्रति कट्टा | ४०००। | |
| ४ | नदी उकास जग्गा, सार्वजनिक जग्गा उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई भाडामा प्रयोग गरे बापत प्रति कट्टा | ४०००। | |

अनुसूची - ४

दफा (५) सँग सम्बन्धित

व्यवसाय कर

व्यवसाय नयाँ दर्ताको हकमा देहाय बमोजिमका पुँजीको आधारमा दर्ता शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।

| क्र.स. | पुँजी | दर्ता शुल्क रु. |
|--------|--|-----------------|
| १ | पाँच लाखसम्मको पुँजी भएको | १००। |
| २ | पाँच लाख एक देखि दश लाखसम्मको पुँजी भएको | ३००। |
| ३ | दश लाख एक देखि बीस लाखसम्मको पुँजी भएको | ५००। |
| ४ | बीस लाख एक देखि पचास लाखसम्मको पुँजी भएको | १०००। |
| ५ | पचास लाख एक देखि एक करोडसम्मको पुँजी भएको | २०००। |
| ६ | एक करोड एक देखि पाँच करोडसम्मको पुँजी भएको | ३०००। |
| ७ | पाँच करोड एक भन्दा माथी पुँजी भएको | ५०००। |

शिक्षा क्षेत्रको हकमा

| क्र.स. | विवरण | दस्तुर रु. |
|--------|---|------------|
| १ | अनुमति पूर्व प्राथमिक | २०,००० |
| २ | अनुमति आधारभूत कक्षा-१ | ४०,००० |
| ३ | अनुमति कक्षा-६ | ५०,००० |
| ४ | अनुमति कक्षा-९ | १,००,००० |
| ५ | अनुमति कक्षा-११ | १,५०,००० |
| ६ | कक्षा २, ३, ४, ५, ७, ८, १० र १२ मा थप कक्षा अनुमति दिँदा (प्रति कक्षा) | ९०,००० |
| ७ | छात्र/छात्रावास अनुमती | ५,००० |
| ८ | इन्स्टिच्युट/तालिम/अनुसन्धान केन्द्र अनुमती | ५,००० |
| ९ | कोचिङ सेन्टर अनुमती | २,००० |
| १० | नाम परिवर्तन (आ.वि.) | १५,००० |
| ११ | नाम परिवर्तन (मा.वि.) | २०,००० |
| १२ | स्थान परिवर्तन गरी आउने जाने पूर्व प्राथमिक (नगरपालिका बाहिरबाट) | ५०,००० |
| १३ | स्थान परिवर्तन गरी आउने जाने पूर्व प्राथमिक (नगरपालिका भित्र) | २५,००० |
| १४ | स्थान परिवर्तन गरी आउने जाने आधारभूत (नगरपालिका बाहिरबाट) | १,००,००० |
| १५ | स्थान परिवर्तन गरी आउने जाने आधारभूत (नगरपालिका भित्र) | ५०,००० |
| १६ | स्थान परिवर्तन गरी आउने जाने माध्यमिक (नगरपालिका बाहिरबाट) | २,००,००० |
| १७ | स्थान परिवर्तन गरी आउने जाने माध्यमिक (नगरपालिका भित्र) | १,००,००० |

व्यवसाय नवीकरण दस्तुर

| व्यवसायको प्रकार | | वार्षिक नवीकरण दस्तुर |
|------------------|--|-----------------------------|
| १. | वित्तीय संस्थाको कार्यालय खोली संचालन गर्ने | |
| क | "क" वर्गको बैंक | २००००। |
| ख | "ख" वर्गको बैंक | १५०००। |
| ग | "ग" र "घ" वर्गको बैंक | १००००। |
| घ | वित्तीय कम्पनी प्रधान कार्यालय | १००००। |
| ड | वित्तीय कम्पनी तथा लघु वित्तीयहरु | ५००। |
| च | बिमा कम्पनीको कार्यालय | ८००। |
| छ | धितोपत्र कारोबार | २५०। |
| ज | मनी एकसचेज र विदेश मुद्राको सटही काउण्टर | ५००। |
| झ | लघुवित्तीय कम्पनीहरु | ५००। |
| | | |
| २. | सहकारी संस्थाहरु | |
| क | ५ हजार देखि १० लाख सम्म शेयर पुँजी भएको | १५०। |
| ख | १० लाख १ देखि २० लाखसम्मको शेयर पुँजी भएको | ३००। |
| ग | २० लाख १ देखि माथि शेयर पुँजी भएको | ५००। |
| | | |
| ३ | निर्माण व्यवसाय (व्यवसाय नवीकरण) | |
| क. | श्रेणी "क" र "ख" | १००००। |
| ख. | श्रेणी "ग" र "घ" | ५००। |
| ग. | श्रेणी "घ" (व्यवसाय दर्ता) | ७५०। |
| | | |
| ४ | शिक्षा सेवा | |
| क | संस्थागत विद्यालय वार्षिक नवीकरण (पूर्व प्राथमिक) | ३,०००। |
| ख | संस्थागत विद्यालय वार्षिक नवीकरण (कक्षा १-५) | १०,०००। |
| ग | संस्थागत विद्यालय वार्षिक नवीकरण (कक्षा ६-८) | १५,०००। |
| घ | संस्थागत विद्यालय वार्षिक नवीकरण (कक्षा ९-१०) | २०,०००। |
| ड | संस्थागत विद्यालय वार्षिक नवीकरण (कक्षा ११-१२) | २०,०००। |
| च | इन्स्टिच्युट/तालिम/अनुसन्धान केन्द्र | ५,०००। |
| छ | कोचिङ सेन्टर | २,०००। |
| ज | छात्र/छात्रावास अनुमती | ५,०००। |
| | | |

| | | |
|----|---|-------|
| ५ | गैर सरकारी संस्थाहरु | |
| क. | गैर सरकारी संस्था राष्ट्रियस्तर | २०००। |
| ख. | स्थानीय तथा निजगढ नगरपालिकामा व्यवसाय गर्ने क्लबहरु | १०००। |
| ग. | गैर सरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तर | ५०००। |
| ६ | सेक्रेटरिय सेवा | |
| क. | मुख्य कार्यालय भएकाहरुको लागि | १५००। |
| ख. | शाखा कार्यालय भएकाहरुको लागि | १०००। |
| ७ | सामान ढुवानी कर्ता तथा हाउजिङ कम्पनी | |
| क. | मुख्य कार्यालय भएकाहरुको लागि | ५०००। |
| ख. | शाखा कार्यालय भएकाहरुका लागि | ३०००। |

उल्लेखित व्यवसाय बाहेकका व्यवसायहरुको नवीकरण दस्तुर देहाय बमोजिम हुनेछ ।

| क्र.स. | पुँजी | वार्षिक नवीकरण दस्तुर |
|--------|--|-----------------------|
| १ | एक लाखसम्म पुँजी भएको | ५००। |
| २ | एक लाख एक देखितीन लाखसम्म पुँजी भएको | ८००। |
| ३ | तीन लाख एक देखिपाँच लाखसम्म पुँजी भएको | १०००। |
| ४ | पाँच लाख एक देखिआठ लाखसम्म पुँजी भएको | १२००। |
| ५ | आठ लाख एक देखिदश लाखसम्म पुँजी भएको | १५००। |
| ६ | दश लाख एक देखिपन्ध्र लाखसम्म पुँजी भएको | २०००। |
| ७ | पन्ध्र लाख एक देखितीस लाखसम्म पुँजी भएको | २५००। |
| ८ | तीस लाख एक देखिपचास लाखसम्म पुँजी भएको | ३०००। |
| ९ | पचास लाख एक देखिएक करोडसम्म पुँजी भएको | ५०००। |
| १० | एक करोड एक देखिपाँच करोडसम्म पुँजी भएको | १००००। |
| ११ | पाँच करोड एक देखिदश करोडसम्म पुँजी भएको | २००००। |
| १२ | दश करोड एक देखिमाथि | ५००००। |

नोट: माथि उल्लिखित व्यवसायमा नगरपालिकाबाट अनुगमन गर्दा म्याद गुज्रेका, गुणस्तरहीन, कालाबजारी तथा नापतौलमा ठगी जस्ता कार्य गरेको पर्यास प्रमाण भेटिएमा कसूरको मात्रा हेरी कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम रु.३,०००। देखि रु. ५०,०००। सम्म जरिवाना गरिनेछ ।

अनुसूची-५
दफा (६) सँग सम्बन्धित
जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर

| सि.न. | विवरण | प्रति एकाई | २०८२/०८३ देखि लागू हुने कर रु. | कैफियत |
|-------|--|--------------------|-----------------------------------|--------|
| १ | सिसा, काँच, बोतल आदी | के.जी/सिसि | ०.२५। | |
| २ | पुराना फलाम तथा स्टील | के.जी | १। | |
| ३ | टायर, ट्युब | के.जि | ०.५०। | |
| ४ | थोनो टिन | के.जि | १। | |
| ५ | पुरानो इम | के.जि | १। | |
| ६ | पुरानो कागज | के.जि. | ०.५०। | |
| ७ | जुट र प्लाष्टिकको बोरा र प्लाष्टिकजन्य वस्तु | के.जि | ०.२५। | |
| ८ | भूस | प्रति ट्रक | ६००। | |
| ९ | भूस | प्रति ट्रयाक्टर | ३००। | |
| १० | ब्राण्ड | किवन्टल | ५। | |
| ११ | पराल | ट्रक | २५०। | |
| १२ | पराल | ट्रयाक्टर | ५०। | |
| १३ | वर्गिकरणमा नपरेको कवाडी सामान | के.जी | १। | |
| १४ | छाला | पिस | १०। | |
| १५ | जलेको मोबिल | लिटर | १। | |
| १६ | पुरानो पित्तल र तामा ब्याट्री | के.जि | २। | |
| १७ | काम नलाग्ने मेसिनरी औजार | के.जि | २। | |
| १८ | दाउरा | किवन्टल | ३। | |
| १९ | हाड, सिँङ्ग, प्वाँख | के.जी | १। | |
| २० | पिना, चुन्नी, आंकडा, दालको भाप आदिको(बिक्री मूल्य) | के.जी | ०.३०। | |
| २१ | जिंक | के.जी | ०.५०। | |
| २२ | चिनी, मिलबाट निस्केको वकास | टीप | ३००। | |
| २३ | उखुको भुसा | किवन्टल | १०। | |
| २४ | मलास (छोवा) | लिटर | ०.२५। | |
| २५ | कनिका | के.जि | ०.१०। | |
| २६ | चोकर | के.जि | ०.१०। | |
| २७ | जडिबुटी तर्फ | प्रति के.जी. | १०। | |

अनुसूची-६

दफा (७) सँग सम्बन्धित

नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा लगाईने कर

| क्र.सं. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुनेकर रु. | कैफियत |
|---------|--|-------------------------------------|--------|
| १ | सवारी साधन कर (सवारी दर्ता, वार्षिक सवारी नवीकरण कर) | | |
| क. | बस, ट्रक, लरी र हेभी गाडी | १५००। | |
| ख. | भाडाका मिनिबस, कार, जिप, ट्याक्टर | ७५०। | |
| ग. | भाडाका टेम्पो, अटोरिक्सा | ५००। | |
| घ. | निजी प्रयोगका कार, जिप | १०००। | |
| ड. | स्कुटर, मोटर साईकल | १००। | |
| च. | ठेला तथा रिक्सा | ५०। | |
| २ | स्टल तथा पटके दस्तुर | | |
| क. | ईलोक्ट्रिक तथा ईलेक्ट्रोनिक स्टल | ५००। | दैनिक |
| ख. | ठूला सवारी साधनको स्टल | २०००। | दैनिक |
| ग. | मझ्यौला सवारी साधन स्टल | १०००। | दैनिक |
| घ. | ३ पाइप्रे टेम्पो तथा मोटर साईकल स्टल | १०००। | दैनिक |
| ड. | अन्य व्यवसायको स्टल | ५००। | दैनिक |
| च. | राजमार्गको दायाँबायाँ सडकमा व्यापार व्यवसाय गर्ने | २००। | दैनिक |

अनुसूची-७
दफा (८) सँग सम्बन्धित
विज्ञापन कर

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुने कर रु. | कैफियत |
|--------|--|--------------------------------------|--------|
| १ | साईनबोर्ड तथा होर्डिङ बोर्डमा वार्षिक लाग्ने कर | | |
| क. | वाल पेन्टिङ प्रति स्क्वायर फिट | २५। | |
| ख. | होर्डिङ बोर्ड सार्वजनिक स्थानमा प्रति स्क्वायर फिट | ७०। | |
| ग. | होर्डिङ बोर्ड निजी स्थानमा प्रति स्क्वायर फिट | ५०। | |
| घ. | ग्लो साईन विद्युतिय बोर्ड प्रति स्क्वायर फिट | ८०। | |
| ड. | गाडीमा लेखी बोकी विज्ञापन प्रति हस्ता | ३००। | |
| च. | ब्यानर, गेट प्रति हस्ता | ३००। | |
| छ. | ठूलो साईज ब्यानर गेट प्रति हस्ता | ६००। | |

अनुसूची-८
दफा (९) सँग सम्बन्धित
मनोरञ्जन कर

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुनेकर रु. | कैफियत |
|--------|--|-------------------------------------|--------|
| १ | सिनेमा हलको प्रति टिकट रु. जम्मा आम्दानीको | ५ प्रतिशत | |
| २ | सार्वजनिक स्थानमा सर्क्स, जादु, चटक प्रदर्शन गर्नेलाई दैनिक | २५०। | |
| ३ | बहुरूपी खेल देखाउनेलाई दैनिक | १०००। | |
| ४ | समय समयमा लाग्ने मेलामा ठेकदारबाट प्रवेश शुल्कको | ५ प्रतिशत | |
| ५ | सार्वजनिक स्थानमा भिडियो तथा फिल्म सुटिङ गर्ने निर्माणकर्तालाई दैनिक | ३००। | |

अनुसूची —९
दफा (१०) सँग सम्बन्धित
बहाल बिटौरी कर

| क्र.स. | विवरण | २०८२/ ०८३ देखि लागू हुनेकर रु. | कैफियत |
|--------|---|---|--------|
| १ | सार्वजनिक सुविधा उपयोग सेवा शुल्क(हाट बजार तर्फ) | | |
| क. | खसी बोका बिक्रेता प्रतिगोटा | ४५। | |
| ख. | बुँगुर प्रति गोटा | ७०। | |
| ग. | गाई, गोरु, भैंसी, पाडा, पाडि बिक्रेता प्रतिगोटा | ७५। | |
| घ. | हाँस कुखुरा प्रति गोटा | ५। | |
| ड. | माछा पसल | ६०। | |
| च. | राँगा, बुँगुर, खसीको मासु बेच्ने | ७०। | |
| छ. | कुखुराको मासु बेच्ने | ५५। | |
| ज. | जुत्ता चप्पल पसल | ७०। | |
| झ. | तरकारी पसल | ४५। | |
| ज. | कपडा पसल | ८५। | |
| ट. | चिया, नास्ता पसल | ६०। | |
| ठ. | किराना, मिठाई, सुर्ती, पिना, डोको, चुरा, नाड्लो, धागो, जडिबुटी बेच्ने | ४०। | |
| ड. | जुत्ता, चप्पल मर्मत, कुखुरा हाँस बेच्ने | २५। | |
| ण. | चटपटे बनाई बिक्री गर्ने | ३०। | |
| त. | कपाल काट्ने | ३०। | |
| थ. | चामल, चिउरा पसल | ३५। | |
| द. | पारचुन, कस्मेटिक पसल | ७०। | |
| ध. | मिठाई पसल | ७०। | |
| न. | बिउ बिजन | ३५। | |
| प. | फलफुल पसल | ६०। | |
| फ. | भाडाकुडा पसल | ८५। | |
| ब. | लुगा सिउने | २५। | |
| भ. | मसला बेच्ने | ६०। | |
| म. | अन्य फुटकर | २५। | |
| | | | |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| २ | ब्याकुहो लोडर प्रति घण्टा भाडा | | |
| क. | नगरपालिकामा दर्ता भएका उपभोक्ता समूह तथा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा प्रति घण्टा | १२००। | |
| ख. | नगरपालिकामा निजी प्रयोगजनका लागि प्रति घण्टा | १४००। | |
| ग. | निजगढ नगरपालिकाभन्दा बाहिर प्रति घण्टा | १६००। | |
| ३ | ग्रेडर प्रतिघण्टा भाडादर | | |
| क. | नगरपालिकामा दर्ता भएका उपभोक्ता समूह तथा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा प्रति घण्टा | २५००। | |
| ख. | नगरपालिकामा निजी प्रयोगजनका लागि प्रति घण्टा | ३०००। | |
| ग. | निजगढ नगरपालिकाभन्दा बाहिर प्रति घण्टा | ३५००। | |
| ४ | ट्रिपर ६ चक्रे प्रतिदिन भाडा दर | | |
| क. | नगरपालिकामा दर्ता भएका उपभोक्ता समूह तथा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा प्रति दिन | ५०००। | |
| ख. | नगरपालिकामा निजी प्रयोगजनका लागि प्रति प्रति दिन | ६०००। | |
| ग. | निजगढ नगरपालिकाभन्दा बाहिर प्रति प्रति दिन | ७५००। | |
| ५ | ट्रिपर १० चक्रे प्रतिदिन भाडा दर | | |
| क. | नगरपालिकामा दर्ता भएका उपभोक्ता समूह तथा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा प्रति दिन | ७०००। | |
| ख. | नगरपालिकामा निजी प्रयोगजनका लागि प्रति दिन | ८५००। | |
| ग. | निजगढ नगरपालिकाभन्दा बाहिर प्रति दिन | १००००। | |
| ६ | ट्याक्टर प्रतिदिन भाडादर | | |
| क. | नगरपालिकामा दर्ता भएका उपभोक्ता समूह तथा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा प्रति घण्टा | १५००। | |
| ख. | नगरपालिकामा निजी प्रयोगजनका लागि प्रति घण्टा | १६००। | |
| ग. | निजगढ नगरपालिकाभन्दा बाहिर प्रति घण्टा | २०००। | |
| ७ | सक्सन ट्यांकी ट्याक्टर प्रति टिप भाडा दर | | |
| क. | नगरपालिकामा दर्ता भएका उपभोक्ता समूह तथा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा प्रति दिन | २०००। | |
| ख. | नगरपालिकामा निजी प्रयोगजनका लागि प्रति दिन | २५००। | |
| ग. | निजगढ नगरपालिकाभन्दा बाहिर प्रति दिन | ३०००। | |

| | | | |
|----|---|------------|--|
| ८ | पानी ट्यांकी प्रति टिप भाडा दर | | |
| क. | नगरपालिकामा दर्ता भएका उपभोक्ता समूह तथा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा प्रति दिन | १०००। | |
| ख. | नगरपालिकामा निजी प्रयोजनका लागि प्रति दिन | १५००। | |
| ग. | निजगढ नगरपालिकाभन्दा बाहिर प्रति दिन | २५००। | |
| | | | |
| ९ | रोलर प्रति घण्टा भाडा दर | | |
| क. | नगरपालिकामा दर्ता भएका उपभोक्ता समूह तथा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा प्रति घण्टा | १०००। | |
| ख. | नगरपालिकामा निजी प्रयोगजनका लागि प्रति घण्टा | १२००। | |
| ग. | निजगढ नगरपालिकाभन्दा बाहिर प्रति घण्टा | १५००। | |
| | | | |
| १० | स्कार्भेटर प्रति घण्टा भाडा दर | | |
| क. | नगरपालिकामा दर्ता भएका उपभोक्ता समूह तथा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा प्रति घण्टा | १८००। | |
| ख. | नगरपालिकामा निजी प्रयोगजनका लागि प्रति घण्टा | २०००। | |
| ग. | निजगढ नगरपालिका भन्दा बाहिर प्रति घण्टा | २५००। | |
| | | | |
| ११ | सभा हल भाडा दर | | |
| क. | प्रतिदिन कार्यक्रम नगरपालिका हल | ३०००। | |
| ख. | प्रतिदिन कार्यक्रम वडा कार्यालयका हल | १५००। | |
| | | | |
| १२ | राजमार्गको दायाँबायाँ प्रयोग गरेमा पटके जरिवाना | | |
| क. | मूल सडक राजमार्गको हकमा दायाँबायाँ २५ मिटरभित्र | ५००। | |
| ख. | सहायक मार्गको हकमा दायाँबायाँ १० मिटरभित्र | २००। | |
| | | | |
| १३ | निर्माण तथा मर्मत सम्भार शुल्क (खानेपानी तथा अन्य कार्यमा) | | |
| क. | पिच सडक फुटाउनु परेमा | ल.इ.अनुसार | |
| ख. | ग्रामेल सडक फुटाउनु परेमा | ल.इ.अनुसार | |
| | | | |

| १४ | अस्थायी घरबासतर्फ | | |
|--------|--|--------------------------------|---|
| क्र.स. | विवरण | निजगढ क्षेत्र (वार्षिक रु.) | सिंगौलतथा रतनपुरी क्षेत्र (वार्षिक रु.) |
| क. | काठले बनेको घर | ३००। | २००। |
| ख. | पक्का १ तल्ले घर | ६००। | ४००। |
| ग. | २ तल्ले घर | १५००। | १०००। |
| घ. | सोभन्दा माथी | २२५०। | १५००। |
| | | | |
| १५ | फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क (मासिक): नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सेवा उपलब्ध गराएको क्षेत्रमा देहाय बमोजिम फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क संकलन गर्नेछः | | |
| १५.१ | होटल तथा अन्य पसलहरु | | |
| क. | होटल (खाना खाजा) | २५०। | |
| ख. | मदिरा पसल | २५०। | |
| ग. | किराना पसल | १००। | |
| घ. | लज सहितको होटल | २५०। | |
| ड. | चिया तथा नास्ता पसल | १००। | |
| च. | घर वाला | ५०। | |
| छ. | टायर पसल | १००। | |
| ज. | संस्थागत/ प्रा.ली./ अन्य संघसंस्थाहरु | २५०। | |
| झ. | मेडिकल हल/ पोलिक्लिनिक तथा औषधी पसल | २५०। | |
| ञ. | कवाडी /गयारेज/ गाडी मर्मत गर्नेहरु | २५०। | |
| १५.२ | कुखुरा फर्म तर्फ (कुखुरा संख्याको आधारमा) फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्क | | |
| क. | चल्ला/ दाना उत्पादन गर्न | ३००। | |
| ख. | २००० भन्दा माथि संख्याको कुखुरा भए | २००। | |
| ग. | १००० भन्दा माथि संख्याको कुखुरा भए | १५०। | |
| घ. | १०० भन्दा कम | १००। | |
| १५.३ | राँगा /बँगुर/ बाखा/भैसी तथा गाईपालन फर्म (संख्याको आधारमा) | | |
| क. | ५० भन्दा माथि संख्याको | २००। | |
| ख. | ५० भन्दा कम संख्याको | १५०। | |

| | | | |
|------|--|------|--|
| १५.४ | कवाडी पसल | ५०। | |
| १५.५ | मासु व्यापारी | | |
| क. | कुखुरा / खसी / बँगुर काटी बिक्री गर्ने | १००। | |
| ख. | राँगाको मासु बिक्री गर्ने | २००। | |
| १६ | चौपाया बिक्रेता प्रतिगोटा (बहाल बिटौरी कर) | | |
| क. | भैंसी (पाडा, पाडी समेत) | १००। | |
| ख. | राँगा, गोरु, गाई, भैंसी | ७५। | |
| ग. | सुँगुर, बुँगुर | ७०। | |
| घ. | फर्मबाट उत्पादन भएको कुखुराहरु प्रतिगोटा | १। | |
| ड. | खसी, बाखा यस्तै प्रकारका चौपायाहरु | ४५। | |

अनुसूची-१०
 (दफा ११ सँग सम्बन्धित)
स्थानीय सडक उपयोग तथा मर्मत शुल्क

| | | | |
|-----|--|------|--|
| १. | स्थानीय सडक उपयोग तथा मर्मत शुल्क प्रति पटक | | |
| १.१ | दहतर वहतर (दुङ्गा, गिट्ठी, बालुवा, इष्टा बोकी हिड्ने भारी ढुवानिका साधन) | | |
| क. | ट्रिपर ६ चक्रे | २००। | |
| ख. | ट्रिपर १० चक्रे | ३००। | |
| ग. | ट्रिपर १२ चक्रे | ३५०। | |
| घ. | ट्रिपर १२ चक्रेभन्दा माथी | ४००। | |
| ड. | दुङ्गा, गिट्ठी, बालुवा, बोकने ट्याक्टर | १००। | |
| च. | आन्तरिक दुङ्गा गिट्ठी बालुवा बोकने ट्याक्टर | ५०। | |
| १.२ | अन्य समान बोकने ढुवानीका साधन | | |
| क. | पराल, भुसा बोकने ट्याक्टर | ५०। | |
| ख. | पराल भुसा बोकने ट्रक | १००। | |
| ग. | पशु चौपाया बोकने गाडी | ५०। | |
| घ. | काठ, दाउरा लगायत अन्य गैह कृषिजन्य सामान बोकने ट्रक | २००। | |
| १.३ | सवारी साधन | | |
| क. | बस | ५०। | |
| ख. | सुमो, जिप जस्तै ४ चक्रे भाडाका सवारीसाधन प्रतिदिन | ५०। | |
| ग. | टेम्पो, अटोरिक्सा ३ चक्रे सवारी साधन प्रति दिन | २०। | |
| १.४ | कृषिजन्य तथा पशुजन्य उत्पादन बोकने भारी गाडी | | |
| क. | ४ चक्रे सानो गाडी | १५०। | |
| ख. | ६ चक्रे ठूलो गाडी | ३००। | |
| ग. | १० चक्रे ठूलो गाडी | ४००। | |
| घ. | १२ चक्रे ठूलो गाडी | ५००। | |

अनुसूची—११
 दफा (१२) सँग सम्बन्धित
सवारी पार्किङ शुल्क

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुनेकर रु. | कैफियत |
|--------|----------------------------|----------------------------------|--------|
| १ | बस, मिनिबस, ट्याक्टर, ट्रक | २०। | |
| क. | कार | १०। | |
| ख. | मोटर साईकल | ५। | |
| ग. | टेम्पो | १०। | |

अनुसूची —१२
 दफा (१३) सँग सम्बन्धित
ट्रेकिङ, कायोकिड, बन्जि जम्पिङ, न्याफिटिङ शुल्क

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुने कर रु. | कैफियत |
|--------|---|-----------------------------------|--------|
| १ | मोहरी पार्कमा सरसफाई बापत बाह्य पर्यटक पिकनिक समूहबाट | १००। | |
| २ | भ्यू टावरमा बाह्य पर्यटक शुल्क प्रति व्यक्ति | २०। | |
| ३ | भ्यू टावरमा आन्तरिक पर्यटक शुल्क प्रति व्यक्ति | १०। | |

अनुसूची—१३
 दफा (१४) सँग सम्बन्धित
सेवा शुल्क र दस्तुर

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८२ देखि लागू हुने कर रु. | कैफियत |
|--------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| १ | नक्सापास दस्तुर | | |
| क | नक्सापासको निवेदन किताब | ५००। | |
| ख | नक्सापास बेसमेन्ट भुई तल्ला देखि पाँच तल्लासम्म | ७। | प्रति स्क्वायर फिट |
| ग | कम्पाउण्ड वाल प्रति रनिङ् फिट | १। | |
| घ | अभिलेखिकरण तथा नक्सा प्रमाणिकरण | ८। | प्रति स्क्वायर फिट |
| २ | नक्सा नामसारी दस्तुर | १०००। | |
| ३ | विद्युत सिफारिस | | |
| क. | ग्राहस्थ काठबाट बनेको | २००। | |
| ख. | नक्सापास पक्की घर | ५००। | |
| ग. | व्यापार/ मेसिनबाट चल्ने व्यवसाय | ५००। | |
| घ. | श्रि फेज | १५००। | |
| ४ | न्यायिक समिति दस्तुर | | |
| क. | न्यायिक समिति उजुरी दर्ता | १००। | |
| ख. | न्यायिक समिति जरगा रोक्का सम्बन्धी सिफारिस | १५००। | |
| ग. | न्यायिक समिति प्रतिलिपि प्रति पृष्ठ | १०। | |
| घ. | न्यायिक समिति लिखित जवाफ दर्ता | १००। | |
| ५ | विविध सिफारिस तथा प्रमाणित | | |
| क. | धारा सिफारिस | १५०। | |
| ख. | राहदानी सिफारिस | २००। | |
| ग. | परिचय पत्र | २००। | |

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुने कर रु. | कैफियत |
|--------|---|--------------------------------------|--|
| घ. | चारकिल्ला प्रमाणित प्रति कित्ता | २००। | |
| ड. | घरबाटो सिफारिस | ५००। | |
| च. | नाता प्रमाणित/ जन्म प्रमाणित (नेपाली) | २००। | |
| छ. | नाता प्रमाणित/ जन्म प्रमाणित (अङ्ग्रेजी) | २००। | |
| ज. | घरनिर्माणको लागि काठ सिफारिस | २००। | |
| झ. | नम्बरी आवादी काठ सिफारिस | १५००। | |
| ज. | घरजग्गा नामसारी/हकभोग प्रमाणित /मोही लगत कट्टा /मोही नामसारी ५ कट्टासम्म | २००। | ५ कट्टा भन्दा माथि प्रति कट्टा रु.५० थप |
| ट. | सम्पत्ति मूल्याकंन/ जग्गा मूल्याकंन रसिदको आधारमा कार्यालयको पत्रमा प्रमाणित नेपालीमा | २००। | |
| ठ. | सम्पत्ति मूल्याकंन/ जग्गा मूल्याकंन रसिदको आधारमा कार्यालयको पत्रमा प्रमाणित अङ्ग्रेजीमा | २००। | |
| ड. | नक्सा फिल्डबुकको नक्ल सिफारिस | २००। | |
| ढ. | आय प्रमाणित १० लाखसम्म | २००। | १० लाख भन्दा माथि प्रति लाख रु. ५० थप |
| ण. | हैसियत प्रमाणित | २००। | |
| त. | ज.ध. लालपुर्जाको नक्लको सिफारिस वा तीन पुस्ता प्रमाणित | २००। | |
| थ. | संस्था दर्ता सिफारिस | ५००। | |
| द. | अन्य सिफारिस | २००। | |
| ध. | कपाली तमसुक सिफारिस दर्ता (लेनदेनको कागजपत्र) | | |
| | क. पचास हजार देखि ५ लाखसम्म | ५००। | |
| | ख. ५ लाख एक देखि १५ लाखसम्म | १०००। | |
| | ग. १५ लाख एक देखि माथि | २०००। | |
| न. | चल/अचल सम्पत्ति मूल्याकंन प्रति लाखमा | १००। | वैदेशिक शिक्षामा जाने विद्यार्थीको हकमा ५०% |

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुने कर रु. | कैफियत |
|--------|---|--------------------------------------|--------|
| | | | छुट |
| | | | |
| ६ | पदपुर्तिको लागि परीक्षा दस्तुर लोकसेवा आयोग नियमानुसार | | |
| क. | अधिकृस्तर | १०००। | |
| ख. | सहायकस्तर | ४००। | |
| ग. | श्रेणी विहिन | २००। | |
| | | | |
| ७ | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | | |
| क. | जन्म दर्ता दस्तुर (नेपाली) ३५ दिनभन्दा पछि आउँदा जरिवाना | २००। | |
| ख. | जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको नक्ल दस्तुर | ५००। | |
| ग. | मृत्युदर्ता दस्तुर (नेपाली) ३५ दिनभन्दा पछि आउँदा जरिवाना | २००। | |
| घ. | विवाह दर्ता दस्तुर (नेपाली) ३५ दिनभन्दा पछि आउँदा जरिवाना | २००। | |
| ड. | सम्बन्ध विच्छेद दस्तुर (नेपाली) ३५ दिनभन्दा पछि आउँदा जरिवाना | २००। | |
| च. | बसाईसराई (नेपाली) ३५ दिनभन्दा पछि आउँदा जरिवाना | २००। | |
| छ. | अविवाहित प्रमाणित (नेपाली) | २००। | |
| ज. | व्यक्तिगत घटना (मृत्यु, जन्म, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराई) दर्ता प्रमाणपत्रको नक्ल दस्तुर | ५००। | |
| झ. | व्यक्तिगत घटना (मृत्यु, जन्म, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराई) दर्ता अभिलेख दर्ता किताब हेरेको दस्तुर | २००। | |
| | | | |
| ८ | अन्य दस्तुर | | |
| क. | अमिन दस्तुर प्रति कित्ता | २५००। | |
| ख. | सर्जमिन दस्तुर | ५००। | |
| ग. | एकिकृत सम्पत्ति कर तथा विविध नगदी रसिद प्रतिलिपि | ५०। | |

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुने कर रु. | कैफियत |
|--------|--|--------------------------------------|--------|
| ९ | कान्जी हाउस | | |
| क. | भैंसी, राँगा, गाई घोडाघोडीमा दैनिक | ५००। | |
| ख. | पाडा, पाडी, बाढी, बाढी बछेडा | ३००। | |
| ग. | बाखा बाखीमा दैनिक | २००। | |
| घ. | सुँगुर, गधामा दैनिक | २००। | |
| ड. | अन्यमा दैनिक | १००। | |
| १० | लेखा परीक्षक शुल्क(नगरपालिका क्षेत्रभित्र) सम्बन्धित लेखापरीक्षकबाट असुल गरिने | | |
| क | श्रेणी "क" श्रेणी "ख" तथा चार्टर एकाउण्टेन्टहरु | ७८०। | |
| ख | श्रेणी "ग" र "घ" | ५००। | |
| ११ | अन्य दस्तुर (माथी समावेश नभएका शुल्कहरु यसै बमोजिम असुल गरिने छ) | २००। | |
| १२ | सर्पदंश उपचार सेवा शुल्क (सम्पत्ती कर बाहेक जुनसुकै सेवा प्राप्त गर्दा) | ९०। | |
| १३ | गौरीशंकर क्याम्पसको पूर्वाधार विकास बापत नागरिकता फाराम बिक्री प्रति फाराम | ५०। | |
| १४ | गौरीशंकर क्याम्पसको पूर्वाधार विकास बापत नक्साको पास निवेदन किताब | १५०। | |
| १५ | गौरीशंकर क्याम्पसको पूर्वाधार विकास बापत नक्साको अभिलेखिकरण नक्सा पास निवेदन किताब | १००। | |
| १६ | जल उपभोक्ता संस्था/समिति दर्ता तथा नविकरण | ३०००। | |
| १७ | पशु सेवा तर्फ | | |
| क. | पशु कृषक सेवा शूल्क | २०। | |
| ख. | पोष्ट मार्टम शूल्क (पशु चौपाया) | ५००। | |
| ग. | पोष्ट मार्टम शूल्क (पंक्षीजन्य) | ५०। | |
| १८ | शिक्षा तर्फ | | |
| क | ग्रेड सिट प्रतिलिपि (कक्षा ५ र द) | ५००। | |
| ख | ग्रेडसिटमा पहिलाको सक्रल सहित जन्म मिति, नामथरमा सामान्य परिवर्तन | ३००। | |

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुने कर रु. | कैफियत |
|--------|---|--------------------------------------|--------|
| ग | प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण कक्षा १ देखि १० सम्म | ५००। | |
| घ | कक्षा ५ र ८ को परीक्षा शुल्क प्रति विद्यार्थी (संस्थागत विद्यालय) | ५००। | |
| ड | ग्रेड वृद्धि परीक्षा दस्तुर प्रति विषय (संस्थागत विद्यालय) | २००। | |
| च | ग्रेड वृद्धि परीक्षा दस्तुर दुई विषय भन्दा बढी भएमा | ५००। | |
| छ | संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी मनोनयन सिफारिस | ५००। | |
| ज | बैंक खाता नवीकरण सिफारिस (संस्थागत विद्यालय) | ५००। | |
| झ | बैंक खाता सञ्चालन सिफारिस नवीकरण (संस्थागत विद्यालय) | ५००। | |
| ञ | नयाँ विद्यालय सञ्चालन, कक्षा थप, विद्यालय स्थानान्तरणका लागि वडाबाट सिफारिस (संस्थागत विद्यालय) | ५००। | |
| ट | शिक्षा सम्बन्धी अन्य सिफारिस (संस्थागत विद्यालय) | ५००। | |
| ठ | शिक्षा शाखा मार्फत IEMIS मा नयाँ विद्यार्थी अद्यावधिक | १००। | |
| ड | शिक्षा शाखा मार्फत IEMIS मा विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रति विद्यार्थी | ५०। | |
| ठ | शिक्षक नियुक्तिको लागि आवेदन फाराम (आधारभूत) | ५००। | |
| ण | शिक्षक नियुक्तिको लागि आवेदन फाराम (माध्यामिक) | १०००। | |

अनुसूची — १४
 दफा (१५) सँग सम्बन्धित
पर्यटन शुल्क

| क्र.स. | विवरण | २०८२/०८३ देखि लागू हुनेकर रु. | कैफियत |
|--------|---|----------------------------------|--------|
| १ | वाह्य पर्यटक धार्मिकस्थल | १००। | |
| २ | आन्तरिक पर्यटक मोहरी पार्क तथा शहीद हिरालाल पार्क | १०। | |

अनुसूची — १५
 दफा (१६) सँग सम्बन्धित
दुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर तथा काठ दाउरा बिक्री शुल्क

| क्र.स. | विवरण | इकाई | दर/प्रति |
|--------|---|-----------------|------------|
| १ | दुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्रावेल र रोडा बिक्री एवम् घाटगढी (संकलन तथा बिक्री) | प्रति क्यू. फि. | रु. ८। |
| २ | पाँगो तथा माटो | प्रति घन मिटर | रु. ८०। |
| २ | काठ दाउरा बिक्री बापत | | १० प्रतिशत |

- क. अनुसूची १५ मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएता पनि स्थानीय बासिन्दाहरूको घरायसी प्रयोजनको लागि नदीजन्य पदार्थको शुल्क कार्यपालिकाले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
 ख. माथि उल्लेखित नदीजन्य पदार्थहरू नगरपालिकाको स्वीकृति बेगर निषेधित क्षेत्रबाट निषेधित समयमा उत्खनन वा दुवानी गरेमा वा त्यस्तो पदार्थ (जिल्ला भित्र वा बाहिर निकासी गर्दा नगरपालिका र प्रदेश सरकारबाट निर्धारित माथिको शुल्क नतिरी जान खोजेमा त्यस्तो पदार्थ जफत गरी तपसिल बमोजिम जरिवाना लगाइने छ ।

तपसिल

| क्र.स. | सवारी साधन | इकाई | जरिवाना |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------|
| १ | ट्याक्टर | प्रति टिप | १००००। |
| २ | ६/१० चक्रे टिपर वा ट्रक | प्रति टिप | ३००००। |
| ३ | सो भन्दा माथिका हेमी मेसिनरी औजार | प्रति टिप | ४००००। |

माथि उल्लेखित जरिवाना पटके रूपमा भए दोश्रो पटक भए दोब्बर र तेश्रो पटक भए तेब्बर असुल गरिनेछ ।

अनुसूची — १६

दफा (१७) सँग सम्बन्धित

एकीकृत सम्पत्ति करका लागि जग्गा र घर संरचनाको न्यूनतम मूल्यांकन

बडा नं. १

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रतिकट्टा रु. |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| क. व्यापारिक क्षेत्र | पक्की सडकको दायाँवायाँ घडेरी | १२,००,०००। |
| ख. आवासीय क्षेत्र | ग्रावेल सडकको दायाँवायाँ घडेरी | १०,००,०००। |
| ग. कृषि क्षेत्र | कच्ची सडकको दायाँवायाँ घडेरी | ९,००,०००। |
| | खेती योग्य जग्गा | २,००,०००। |
| | नदी उकास जग्गा | १,००,०००। |

बडा नं. २ र ३

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रति कट्टा |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| क. व्यापारि क्षेत्र | पक्की सडकको दायाँवायाँ घडेरी | १०,००,०००। |
| ख. आवासीय क्षेत्र | ग्रावेल सडकको दायाँवायाँ घडेरी | ८,००,०००। |
| ग. कृषि क्षेत्र | कच्ची सडकको दायाँवायाँ घडेरी | ६,००,०००। |
| | खेती योग्य जग्गा | २,००,०००। |
| | नदी उकास जग्गा | १,००,०००। |

बडा नं. ४

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रति कट्टा |
|---------------------|--|---------------------------|
| क. व्यापारि क्षेत्र | पुरानो निजगढ कछडिया टोल मूल बाटो सडक दायाँ बायाँ | १०,००,०००। |
| ख. आवासीय क्षेत्र | | |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| ग. कृषि क्षेत्र | पुरानो निजगढ कछडिया टोल सहायक मार्ग पक्की बाटो दायाँ बायाँ | ७,००,०००। |
| | पुरानो निजगढ कछडिया टोल सहायक मार्ग कच्ची बाटो दायाँ बायाँ | ५,००,०००। |
| | पुरानो टोल शान्ती टोल हुँदै मूल बाटो दायाँबायाँ | १०,००,०००। |
| | पुरानो हिरालाल मार्ग मूल बाटो दायाँ बायाँ | १०,००,०००। |
| | पुरानो सहायक हिरालाल मार्ग बाटो दायाँ बायाँ | ८,००,०००। |
| | खेती योगय कुलोसँग जोडिएको | ५,००,०००। |
| | खेती योगय कुलोसँग नजोडिएको | ३,००,०००। |
| | नदी उकास जग्गा | १,००,०००। |

वडा नं. ५

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रति कट्ठा रु. |
|----------------------|--|-------------------------------|
| क. व्यापारिक क्षेत्र | साविक स्वामीको बोट स्थल देखि मदन आश्रित चोक हुँदै वडा नं.४ सिमा कल्भटसम्म र मदन आश्रित चोक देखि कृष्ण प्रसाद बन्जराको घरसम्म र समिबोट देखिपूर्वटोलसम्म | १०,००,०००। |
| ख. आवसिय क्षेत्र | वडा नं. ५ र ६ सिमा खोल्मा टोल पुछार देखि पूर्व टोल हुँदै खेल मैदानसम्म जाने बाटो | १०,००,०००। |
| ग. कृषि क्षेत्र | वडा नं. ५ र ६ को सिमाना भिम प्रसाद आचार्यको घर हुँदै गाउँ हुँदै खेल मैदान झर्ने बाटो । | ८,००,०००। |
| | समनाताटोल अन्तर्गत नमूना चोक देखि पश्चिम पैनीसम्म | ७,००,०००। |

| | | |
|--|--|-----------|
| | जन जागृती आधारभुत विद्यालय देखि दक्षिण डेरी जाने बाटो र पूर्व पटि गहिरी गाउँ जाने बाटो | ७,००,०००। |
| | अन्य बाटो छेउका घर घडेरी | ५,००,०००। |
| | खेती योग्य जग्गा | ३,००,०००। |
| | नदी उकास जग्गा | १,००,०००। |

बडा नं. ६

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रति कट्ठा रु. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| क. व्यापारिक क्षेत्र | शहीद हिरालाल मार्ग | १२,००,०००। |
| ख. आवासिय क्षेत्र | अन्य पक्की सडक दायाँ बायाँ | १०,००,०००। |
| ग. कृषी क्षेत्र | ग्रावेल सडकको दायाँ बायाँ घडेरी | ८,००,०००। |
| | कच्ची सडकको दायाँ बायाँ घडेरी | ६,००,०००। |
| | खेती योग्य जग्गा | ३,००,०००। |
| | नदी उकास जग्गा | १,००,०००। |

बडा नं. ७

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रति कट्ठा रु. |
|----------------------|--|-------------------------------|
| क. व्यापारिक क्षेत्र | महेन्द्र राजमार्ग जोडिएको दायाँ बायाँ घडेरी जग्गा | ३५,००,०००। |
| ख. आवासिय क्षेत्र | महेन्द्र राजमार्ग लचकाको पश्चिम छेउबाट भमरासम्म | २५,००,०००। |
| ग. कृषी क्षेत्र | हिरालाल मार्गको सहिद चोक देखि हाइ स्कूलसम्म घडेरी | २०,००,०००। |
| | हिरालाल मार्गसँग जोडिएको हाइ स्कूलबाट उत्तर ६ नं. बडाको सिमानासम्म घडेरी | १५,००,०००। |
| | लिच्ची टोल चोक देखि भण्डारी टोलबाट आउने बाटोसम्म | १५,००,०००। |
| | औतारा टोल देखि बन्खुटोलसम्म | १५,००,०००। |
| | पक्की सडक दायाँ बायाँ घडेरी | १०,००,०००। |

| | | |
|--|---------------------------------|-----------|
| | ग्रावेल सडकको दायाँ बायाँ घडेरी | ८,००,०००। |
| | कच्ची सडकको दायाँ बायाँ घडेरी | ६,००,०००। |
| | खेती योग्य जग्गा | ३,००,०००। |
| | नदी उकास जग्गा | १,००,०००। |

वडा नं. ८

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रति कट्टा रु. |
|----------------------|---|-------------------------------|
| क. व्यापारिक क्षेत्र | महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको दायाँ बायाँ घडेरी जग्गा | ३५,००,०००। |
| ख. आवासिय क्षेत्र | हिरालालमार्गको शहिदचोक देखि हाई स्कूलसम्म घडेरी | २०,००,०००। |
| ग. कृषी क्षेत्र | हिरालालमार्गसँग जोडिएको हाई स्कूलबाट उत्तर ६ नं. वडाको सिमानासम्म घडेरी | १५,००,०००। |
| | शाखा बाटो पिसिसि ढलानमा जोडिएको घडेरी | १०,००,०००। |
| | ग्रावेल सडकको दायाँबायाँ घडेरी | ८,००,०००। |
| | कच्ची सडकको दायाँबायाँ घडेरी | ६,००,०००। |
| | खेती योग्य जग्गा | ३,००,०००। |
| | नदी उकास जग्गा | १,००,०००। |

वडा नं. ९

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रति कट्टा रु. |
|----------------------|--|-------------------------------|
| क. व्यापारिक क्षेत्र | महेन्द्र राजमार्गसंग जेडिएको दायाँबायाँ घडेरी जग्गा | ३५,००,०००। |
| ख. आवासिय क्षेत्र | लच्काको पश्चिम छेउबाट भमरासम्म | २५,००,०००। |
| ग. कृषी क्षेत्र | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखि तेशो लाईनको बाटोसम्म | १५,००,०००। |

| | |
|--|------------|
| प्रस्तुति गृहको दक्षिण चोकसम्म | १५,००,०००। |
| ईलाका प्रहरी कार्यालय हुँदै दक्षिण दादाको चोकसम्म | १५,००,०००। |
| वाईपास रोड देखि उत्तरसम्म | १५,००,०००। |
| क्याम्पस चोक देखि पश्चिम शान्तिटोल जाने वाटोसम्म | १५,००,०००। |
| क्याम्पस रोड देखि पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र जानेवाटोसम्म | १५,००,०००। |
| वाक्येश्वर मन्दिर उत्तर दादाको चोकसम्म | १०,००,०००। |
| ग्रावेल सडकको दायाँबायाँ घडेरी | १०,००,०००। |
| ग्रावेल बाटोहरुमा जोडिएका कच्ची सडकको दायाँबायाँ घडेरी | ६,००,०००। |
| खेती योग्य जग्गा | ३,००,०००। |
| बकैया देखिभमरा सम्मको नदी उकास जमिन | १,५०,०००। |
| नदी उकास जग्गा | १,००,०००। |

बडा नं. १०

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रति कट्टा रु. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| क. व्यापारिक क्षेत्र | पक्की सडकको दायाँबायाँ घडेरी | ६,००,०००। |
| ख. आवासिय क्षेत्र | ग्रावेल सडकको दायाँ बायाँ घडेरी | ४,००,०००। |
| ग. कृषी क्षेत्र | कच्ची सडकको दायाँ बायाँ घडेरी | २,००,०००। |
| | खेती योग्य जग्गा | १,००,०००। |
| | नदी उकास जग्गा | ५०,०००। |

बडा नं. ११

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रति कट्टा रु. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| क. व्यापारिक क्षेत्र | पक्की सडकको दायाँबायाँ घडेरी | ८,००,०००। |
| ख. आवासिय क्षेत्र | ग्रावेल सडकको दायाँ बायाँ घडेरी | ६,००,०००। |
| ग. कृषी क्षेत्र | कच्ची सडकको दायाँ बायाँ घडेरी | ५,००,०००। |
| | खेती योग्य जग्गा | २,००,०००। |
| | नदी उकास जग्गा | १,००,०००। |

बडा नं. १२ र १३

| मुख्य क्षेत्र | स्थान | न्यूनतम मूल्य प्रति कट्टा रु. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| क. व्यापारिक क्षेत्र | पक्की सडकको दायाँबायाँ घडेरी | ६,००,०००। |
| | ग्रावेल सडकको दायाँ बायाँ घडेरी | ४,००,०००। |
| ख. आवासिय क्षेत्र | कच्ची सडकको दायाँ बायाँ घडेरी | २,००,०००। |
| | खेती योग्य जग्गा | १,००,०००। |
| ग. कृषी क्षेत्र | नदी उकास जग्गा | ५०,०००। |

नोट: बाटोमा परेका घडेरी जग्गाको हकमा १०० फिट सम्मलाई बाटोले छोएको मानि मूल्य कायम गरिने र बाँकी जग्गा खेति योग्य मानि मूल्य कायम गरिनेछ ।

घर संरचनाको मूल्याङ्कन दर

| संरचना प्रति वर्ग फिट रु | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|--|------------|--|-----------|---|-----------|-----------------------------------|------------|
| | आर सि.सि फ्रेम स्ट्रक्चर | | सिमेट जोडाईमा ईट्टा वा ढुङ्गा गारो आर सि.सि छाना | | माटोको जोडाई ईट्टा वा ढङ्गाको आर.सी.सी सिमेन्ट जोडाईमा ईट्टा ढुङ्गाको गारो जस्ता टायलको छाना | | माटोको जोडाईमा ईट्टा वा ढुङ्गाको गारो जस्ता टायलको छाना | | सेड वा कच्ची | |
| क्षेत्र | व्यापारि क औद्योगि क तथा संस्थागत | बसोबा स | व्यापारि क औद्योगि क तथा संस्थागत | बसोबा स | व्यापारि क औद्योगि क तथा संस्थागत | बसोबा स | व्यापारि क औद्योगि क तथा संस्था गत | बसोबा स | व्यापारि क औद्योगि क तथा संस्थागत | बसोबा स |
| व्यापारिक आव-सीय कृषि | १५०० Sq.ft | १५०० Sq.ft | १००० Sq.ft | १००० Sq.ft | ८०० Sq.ft | ८०० Sq.ft | ६०० Sq.ft | ६०० Sq.ft | ६०० Sq.ft | ६०० sq.ft. |

आज्ञाले

राजेन्द्र बहादुर अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत